दिनांक 29 सितंबर 2022 को आयोजित राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) की 23वीं बैठक का कार्यवृत्त

1. डॉ निर्मलजीत सिंह कलसी, अध्यक्ष, एनसीवीईटी की अध्यक्षता में दिनांक 29 सितम्बर 2022 को वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) की 23वीं बैठक आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक- I** पर दी गई है।

2. बैठक में कार्यसूची मदों के संदर्भ में समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का विवरण बाद के पैरा में दिया गया है।

कार्यसूची मद संख्या 01: दिनांक 25 अगस्त 2022 को आयोजित एनएसक्यूसी की 22वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

3. समिति को एनएसक्यूसी की 22वीं बैठक के कार्यवृत्त में किए गए मामूली संपादकीय सुधारों का विवरण दिया गया जो संबंधित हितधारकों द्वारा सूचित किया गया था ।

4. समिति ने एनएसक्यूसी की 22वीं बैठक के परिशोधित कार्यवृत्त की पुष्टि की। परिशोधित कार्यवृत्त वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।

कार्यसूची मद संख्या 02: 22वीं एनएसक्यूसी की बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

5. समिति को एनएसक्यूसी की 22वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की **गई कार्रवाई** का विस्तृत विवरण दिया गया। समिति ने की गई कार्रवाई का संज्ञान लिया और निम्नलिखित निर्णयों के साथ उसे अनुमोदित किया:

क) समिति ने डीजीटी को सुझाव दी कि नए एनओएस के लिए एनओएस और मॉडल पाठ्यक्रम को समय पर प्रस्तुत करने में तेजी लाएं, जिन्हें मौजूदा एनएसक्यूएफ संरेखित और अनुमोदित एनओएस में तैयार नहीं किया जा सका।

ख) समिति ने यह भी निर्णय लिया कि एएसएपी केरल को राज्य स्वास्थ्य विभाग की सहमति यथाशीघ्र जमा करनी चाहिए, ऐसा न करने पर अर्हता को वापस ले लिया गया माना जाएगा।

अनुपालन की स्थिति **अनुलग्नक-II में है.**

कार्यसूची मद सं. 03: पुरस्कार देने वाला निकाय (अवार्डिंग बॉडीज), लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल (एलएससी) की चार अर्हताओं को नियमित वैधता प्रदान करना

6. समिति को इस बात की जानकारी दी गई थी कि दिनांक 31/03/2022 को आयोजित एनएसक्यूसी की 17वीं बैठक में लॉजिस्टिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल की पांच (05) परिशोधित अर्हताओं को छह (06) महीने की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था, बशर्ते कि एबी निर्धारित नीति के अनुसार प्रत्येक अर्हता में न्यूनतम 1000 प्रशिक्षण करें और एनएसक्यूसी द्वारा 3 वर्षों (अनुमोदन के 6 महीने सहित) के नियमित समय विस्तार प्रदान करने के लिए एनएसक्यूसी को विवरण जमा करें। एबी ने मार्च 2022 से इन 05 अर्हओं पर आयोजित प्रशिक्षणों के संबंध में निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किए:

क्र. स.	**अर्हता का नाम**	**आयोजित प्रशिक्षणों की सं. संख्या**
1.	क्लीयरेंस सपोर्ट एजेंट	1177
2.	रीच ट्रक ऑपरेटर	0
3.	शिपमेंट वर्गीकरण एजेंट	1177
4.	वेयरहाउस क्लेम कोऑर्डिनेटर	1207
5.	वेयरहाउस क्वालिटी चेकर	1177

7. समिति ने इस पर संज्ञान लिया और **इसके आरंभिक अनुमोदन (पहले दिए गए 06 महीने के अनुमोदन सहित) की तारीख से तीन (03) वर्षों के लिए 4 अर्हताओं का समय बढ़ा दिया**। समिति ने हालांकि पाया कि एबी द्वारा प्रदान की गई प्रशिक्षण संख्या उपरोक्त तीन (03) अर्हताओं के लिए समान थी और इसलिए एनसीवीईटी को प्रशिक्षण केंद्रों के साथ एबी से उपर्युक्त अर्हता में प्रशिक्षण का विवरण प्राप्त करने और विस्तृत विश्लेषण के साथ 24वें एनएसक्यूसी की बैठक में जमा करने का निदेश दिया। इसके अलावा, समिति ने **'रीच ट्रक ऑपरेटर'** की अर्हता को संग्रहित करने का निदेश दिया क्योंकि पिछले छह महीनों में कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ था।

कार्यसूची मद संख्या 04: एनएसक्यूएफ संरेखण के के लिए अर्हताओं को प्रस्तुत करना

8. समिति को एनएसक्यूएफ संरेखण और अनुमोदन के लिए 30 जून 2022 तक प्राप्त 88 अर्हताओं का विवरण दिया गया था। इन 88 अर्हताओं में से 34 अर्हताओं (13 नई और 21 परिशोधित) को 23वीं एनएसक्यूसी की बैठक में प्रस्तुत करने पर विचार किया गया। शेष अर्हताओं पर पूर्ण दस्तावेज जमा न करने के कारण विचार नहीं किया जा सका।

9. समिति ने देखा कि जामा की गई 88 अर्हताओं में से 54 अर्हताएं एनएसक्यूसी के सामने नहीं लाई जा सकीं क्योंकि संबंधित एबी (अवार्डिंग बॉडीज) द्वारा की गई टिप्पणी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और उन्होंने सलाह दी कि संबंधित एबी (सभी 54 अर्हताओं में से) एनसीवीईटी के साथ एक भौतिक रूप से बैठक करें और पहले अवसर पर दस्तावेजों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रदान करें ताकि उक्त अर्हताओं को 24वें एनएसक्यूसी के समक्ष लाया जा सके।

10. 34 अर्हताओं पर समिति का निर्णय बाद के पैराओं में दिया गया है। अर्हताओं के अनुमोदन की

स्थिति का सारांश अनुलग्नक III और IV में दिया गया है।

पुरस्कार देने वाले निकाय (अवार्डिंग बॉडीज)

11. **एयरोस्पेस और एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल:** तीन (03) नई अर्हताओं को समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गईं। समिति ने निम्नलिखित सुझावों के साथ सभी अर्हताओं को अनुमोदित कर दी, जिन पर पुरस्कार देने वाले निकाय (अवार्डिंग बॉडीज) के प्रतिनिधि ने अपनी सहमति व्यक्त की:

क्र. सं.	**प्रस्तुत की गई अर्हता**	**सुझावों के साथ एनएसक्यूसी का अनुमोदन**
1.	एयरपोर्ट टर्मिनल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव	अनुमोदित ।
2.	एयरपोर्ट टर्मिनल ऑपरेशन सुपरवाइजर	क) 150 घंटे की अवधि के थ्योरी/सिद्धांत (कल्पित घंटे) को 210 घंटे किया जाएगा। ख) 60 घंटे की अवधि के ईएस एनओएस को 90 घंटे का ईएस एनओएस किया जाएगा
3.	एयरपोर्ट टर्मिनल ऑपरेशन मैनेजर	150 घंटे की अवधि के थ्योरी/सिद्धांत (कल्पित घंटे) को 240 घंटे किया जाएगा।

12. **परिधान क्षेत्र कौशल परिषद(अप्पारेल सेक्टर स्किल काउंसिल):** समिति के समक्ष तीन (03) परिशोधित अर्हताएं प्रस्तुत की गईं। समिति ने निम्नलिखित सुझावों के साथ सभी अर्हताओं **की अपनी मंजूरी दे दी**, जिन पर पुरस्कार देने वाले निकाय (अवार्डिंग बॉडीज) के प्रतिनिधि ने अपनी सहमति इस प्रकार व्यक्त की :

क्र. सं.	**एएमएच एसएससी द्वारा प्रस्तावित अर्हता**	**सुझाव के साथ एनएसक्यूसी का अनुमोदन**
1.	सिलाई मशीन ऑपरेटर	नामकरण में परिवर्तन - सिलाई मशीन ऑपरेटर (जूनियर)
2.	सिलाई मशीन ऑपरेटर निट	नामकरण में परिवर्तन - सिलाई मशीन ऑपरेटर निट (जूनियर)
3.	हाथ कढ़ाई (अड्डावाला)	अनुमोदित।

13. **घरेलू कामगार क्षेत्र कौशल परिषद (डोमेस्टिक वर्कर सेक्टर स्किल काउंसिल)** : समिति के समक्ष चार अर्हताएं (01 नई और 03 संशोधित) अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गईं। समिति ने निम्नलिखित सुझावों के साथ सभी अर्हताओं को मंजूरी दी, जिन पर पुरस्कार देने वाले निकाय (अवार्डिंग बॉडीज) के प्रतिनिधि ने अपनी सहमति व्यक्त की:

क्र. सं.	**प्रस्तुत की गई अर्हता**	**सुझाव के साथ एनएसक्यूसी का अनुमोदन**
1.	सहायक गृह प्रबंधक (घरेलू और लघु प्रतिष्ठान)	**अनुमोदित ।**
2.	पेशेवर रसोइया (घरेलू और छोटे प्रतिष्ठान)	**क) छह (06) महीने* के लिए अनुमोदित*** **ख)** 30 घंटे की अवधि के ईएस एनओएस को 60 घंटे के ईएस एनओएस किया गया।
3.	देखभाल करने वाला - माँ और नवजात (गैर-नैदानिक)	क) **छह (06) महीने* के लिए अनुमोदित*** ख) 30 घंटे की अवधि के ईएस एनओएस को 60 घंटे के ईएस एनओएस किया गया।
4.	बेबी केयरगिवर (गैर-नैदानिक)	क) **छह (06) महीने* के लिए अनुमोदित*** ख) 30 घंटे की अवधि के ईएस एनओएस को 60 घंटे के ईएस एनओएस किया गया।
* प्रशिक्षणों की अपर्याप्त संख्या के कारण छह (06) महीने के लिए अनुमोदित। एसएससी अगले छह महीनों में न्यूनतम 1000 शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करेगा, जिसके बाद वैधता के नियमित विस्तार के लिए अर्हता की समीक्षा की जाएगी।		

14. **ग्रीन जॉब्स सेक्टर स्किल काउंसिल:** पांच (05) परिशोधित अर्हताएं समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गईं। समिति ने निम्नलिखित सुझावों के साथ सभी योग्यताओं को मंजूरी दी, जिन पर पुरस्कार देने वाले निकाय (अवार्डिंग बॉडीज) के प्रतिनिधि ने अपनी सहमति व्यक्त की:

क्र. सं.	प्रस्तुत की गई अर्हता	सुझाव के साथ एनएसक्यूसी का अनुमोदन
1.	डिस्लुजिंग ऑपरेटर	अनुमोदित। '8वीं पास+ नियमित स्कूली शिक्षा को जारी रखना' को बाहर करने के लिए प्रवेश की आवश्यकताएँ
2.	सेप्टिक टैंक तकनीशियन	क) **छह महीने के लिये अनुमोदित ⁎** ख) अर्हता का नामकरण **"सेप्टिक टैंक जूनियर तकनीशियन"** के रूप में परिशोधित किया जाएगा
3.	फेकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट ओ एंड एम तकनीशियन	क) **छह महीने के लिये अनुमोदित ⁎.** ख) थ्योरी कंपोनेंट को न्यूनतम 120 घंटे तक बढ़ाया जाएगा। ग) 30 घंटे की अवधि के रोजगारपरक कौशल (ईएस) एनओएस को 60 घंटे के ईएस एनओएस किया जाएगा। घ) प्रवेश आवश्यकताओं में '8 वीं कक्षा पास + 2 साल के प्रासंगिक अनुभव के साथ आईटीआई' को '8वीं कक्षा पास + आईटीआई (8 वीं के बाद 2 साल) के साथ 2 साल के प्रासंगिक अनुभव' किया जाएगा।
4.	टेक्निशियन- पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग	क) **छह महीने के लिये अनुमोदित ⁎** ख) अर्हता का नामकरण **'पेपर बैग जूनियर तकनीशियन'** के रूप में परिशोधित किया जाएगा
5.	पेपर बैग मेकर	क) **छह महीने के लिये अनुमोदित ⁎** ख) अर्हता का नामकरण **'पेपर बैग मेकर - माइक्रो एंटरप्रेन्योर'** के रूप में परिशोधित किया जाएगा
⁎ प्रशिक्षणों की अपर्याप्त संख्या के कारण छह (06) महीने के लिए अनुमोदित। एसएससी अगले छह महीनों में न्यूनतम 1000 शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करेगा, जिसके बाद वैधता के नियमित विस्तार के लिए अर्हता की समीक्षा की जाएगी।		

15. प्रबंधन क्षेत्र कौशल परिषद: तीन अर्हताएं (02 नई और एक 01 परिशोधित) अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत की गईं। अर्हता **'प्री-स्कूल एंड डे केयर फैसिलिटेटर'** के लिए समिति ने एबी को अर्हता के कार्यक्षेत्र और नामकरण पर फिर से विचार करने और एनएसक्यूसी के अनुमोदन के लिए फिर से जमा करने की सलाह दी। एमईपीएससी को हितधारकों के साथ आगे की चर्चा करने और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे (एनसीआरएफ) का संदर्भ लेने की भी सलाह दी गई थी। समिति ने निम्नलिखित सुझावों के साथ एक अर्हता और दूसरी अर्हता के लिए सशर्त अनुमोदन को मंजूरी दी,

जिस पर पुरस्कार देने वाले निकाय (अवार्डिंग बॉडीज) के प्रतिनिधि ने अपनी सहमति व्यक्त की: :

क्र. सं.	**प्रस्तुत की गई अर्हता**	**सुझाव के साथ एनएसक्यूसी का अनुमोदन**
1.	कार्यालय संचालन कार्यकारी	**अनुमोदित।** 30 घंटे की अवधि के ईएस एनओएस को 60 घंटे के ईएस एनओएस किया गया।
2.	उद्यमी (ऐच्छिक: महिला उद्यमी और लिंग संवेदनशीलता)	**सशर्त अनुमोदित निम्नलिखित के अध्यधीन:** क) 30 घंटे की अवधि के ईएस एनओएस को 90 घंटे के ईएस एनओएस किया गया। ख) **नामकरण और प्रगति को परिशोधित किया जाएगा और अनुमोदन के लिए एनसीवीईटी को प्रस्तुत किया जाएगा।**
3.	प्री-स्कूल और डे केयर फैसिलिटेटर	**आस्थगित** । इसे आगे की परीक्षा के लिए और पहले से अनुमोदित समान तरह की अर्हता के साथ तुलना करने के लिए आस्थगित कर दिया गया था।

16. **पर्यटन क्षेत्र कौशल परिषद:** दो (02) नई अर्हताएं समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गईं। समिति ने निम्नलिखित सुझावों के साथ सभी अर्हताओं को मंजूरी दी, जिन पर पुरस्कार देने वाले निकाय (अवार्डिंग बॉडीज) के प्रतिनिधि ने अपनी सहमति व्यक्त की:

क्र.सं.	प्रस्तुत की गई अर्हता	सुझाव के साथ एनएसक्यूसी का अनुमोदन
1	प्रकृतिवादी- वन्यजीव पर्यटन	**अनुमोदित ।** क) 60 घंटे की अवधि के ईएस एनओएस को 90 घंटे के ईएस एनओएस किया गया। ख) एनएसक्यूएफ स्तर को 5 से **4.5** में परिशोधित किया जाएगा ग) प्रवेश आवश्यकता में, "यूजी के प्रथम वर्ष करने वाला" जोड़ा जाएगा
2	बरिस्ता स्पेशलिस्ट	**अनुमोदित।** नामकरण को बदलकर "बरिस्ता एक्जीक्यूटिव" किया जाएगा

17. **टेक्सटाइल सेक्टर स्किल काउंसिल:** एक (1) नई अर्हता, अर्थात् "हथकरघा उद्यमी (हैंडलूम इंटरप्रेन्योर)" को नामकरण में परिवर्तन के अधीन सशर्त अनुमोदन दिया गया था। अध्यक्ष, एनएसक्यूसी ने टेक्सटाइल एसएससी के कार्यवाहक सीईओ को श्री संजीव चावला, निदेशक, एमएसएमई के साथ अर्हता के संदर्भ में इसके नामकरण और प्रगति पर विचार करने की सलाह दी।

18. **पीडब्ल्यूडी एसएससी (एससीपीडब्ल्यूडी):** 13 अर्हताएं (04 नई और 09 परिशोधित) अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत की गईं। समिति ने निम्नलिखित सुझावों के साथ सभी अर्हताओं को मंजूरी दी, जिन पर पुरस्कार देने वाले निकाय (अवार्डिंग बॉडीज) के प्रतिनिधि ने अपनी सहमति इस प्रकार व्यक्त की:

क्र. सं.	प्रस्तुत की गई अर्हता	सुझाव के साथ एनएसक्यूसी का अनुमोदन
1.	भारतीय संकेत भाषा दुभाषिया (इंडियन साइन लैंग्वेज़ इंटरप्रेटर)	**अनुमोदित।**
2.	हॉस्पिटैलिटी एसोसिएट (दिव्यांगजन)-आईडी	**अनुमोदित।**
3.	प्रेसमैन- अपैरल (दिव्यांगजन)-एसएचआई	**अनुमोदित।**
4.	प्रेसमैन- अपैरल (दिव्यांगजन)- एलवी	**अनुमोदित।**
5.	असिस्टेंट- फ्रूट एंड वेजीटेबल्स डिहाइड्रेशन (सौर) (दिव्यांगजन)-आईडी	**अनुमोदित।** अर्हता का नामकरण **'सौर शुष्कीकरण सहायक- खाद्य और सब्जियां'** के रूप में परिशोधित किया जाएगा।

6.	सहायक माली'- (दिव्यांजन- आईडी)	**अनुमोदित।** नामकरण को 'सहायक-प्लांट केयरटेकर (माली)- (दिव्यांजन- आईडी)' के रूप में परिशोधित किया जाएगा
7.	डेयरी किसान/उद्यमिता (दिव्यांगजन)- एलडी	**अनुमोदित।** नामकरण को 'डेयरी किसान (दिव्यांगजन)-एलडी' के रूप में परिशोधित किया जाएगा
8.	डेयरी किसान/उद्यमिता (दिव्यांगजन)- एसएचआई	**अनुमोदित।** नामकरण को 'डेयरी किसान (दिव्यांगजन)-एसएचआई' के रूप में परिशोधित किया जाएगा
9.	डेयरी किसान/उद्यमिता (दिव्यांगजन)- एलवी	**अनुमोदित।** नामकरण को 'डेयरी किसान (दिव्यांगजन)-एल.वी.' के रूप में परिशोधित किया जाएगा
10.	मोबाइल फोन रिपेयर हार्डवेयर टेक्निशियन (दिव्यांगजन)- एलडी	**अनुमोदित।** नामकरण को 'मोबाइल फोन मरम्मत तकनीशियन (दिव्यांगजन)-एलडी' के रूप में परिशोधित किया जाएगा
11	मोबाइल फोन रिपेयर हार्डवेयर टेक्निशियन (दिव्यांगजन) एसएचआई	**अनुमोदित।** नामकरण को मोबाइल फोन पेयर टेक्निशियन (दिव्यांगजन)- एसएचआई' रूप में परिशोधित किया जाएगा
12.	बिस्किट प्लांट प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट' - (दिव्यांगजन)- एलडी	**अनुमोदित।** नामकरण को 'प्लांट प्रोडक्शन ऑपरेटर (बिस्किट)- (दिव्यांगजन-एलडी)' के रूप में परिशोधित किया जाएगा
13.	बिस्किट प्लांट प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट'- एसएचआई	**अनुमोदित।** नामकरण को 'प्लांट प्रोडक्शन ऑपरेटर (बिस्किट) (दिव्यांगजन) - एसएचआई' के रूप में परिशोधित किया जाएगा

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त बिन्दु

19. श्री अनिल गैरोला, डीएस, डीओएसईएल ने समिति को यह बताया कि विभिन्न राज्यों के स्कूलों में तीन (03) निष्क्रिय अर्हताएं लागू की जा रही हैं, जिन पर छात्र पहले से ही नामांकित हैं और उन्होंने समिति से वर्तमान सत्र के लिए उन अर्हताओं को चालू करने पर विचार करने का अनुरोध किया। विवरण इस प्रकार हैं:

क. पर्यटन मार्गदर्शक।

ख. सहायक टूर गाइड।

ग. पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता।

20 अध्यक्ष, एनएसक्यूसी ने स्कूली शिक्षा विभाग को एनएसक्यूसी द्वारा लिए गये निर्णयों के साथ तालमेल बिठाने की सलाह दी और अर्हता के नवीनतम संस्करणों को लागू करने का प्रयास करना चाहिए। समिति ने इस पर संज्ञान लिया और एनसीवीईटी में संबंधित हितधारकों (डीओएसईएल, कृषि एसएससी और पर्यटन एसएससी) के साथ एक बैठक करने और अनुशंसाओ को 'फाइल पर' प्रोसेस करने का सुझाव दिया।।

21. अध्यक्ष, एनएसक्यूसी ने चिंता के साथ यह उल्लेख किया कि एनएसक्यूसी के आयोजन की तिथि **महीने के अंतिम गुरुवार के रूप** में निर्धारित की गई है और सभी मान्यता प्राप्त पुरस्कार निकायों (अवार्डिंग बॉडीज) को इसकी सूचना दे दी गई है। इसके अलावा, कार्यक्रम, जिसके बाद कार्यसूची और बैठक की तारीख को सुरक्षित रखने के लिए महीने की शुरुआत में हमेशा एक मेल भेजा जाता है और सदस्यों और अवार्डिंग बॉडीज को एनएसक्यूसी की बैठक करने से कम से कम दो दिन पहले आमंत्रित किया जाता है। समिति द्वारा लिए जा रहे अर्हता संबंधी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को देखते हुए सभी अवार्डिंग बॉडीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/प्रमुखों की उपस्थिति अनिवार्य है, विशेष रूप से उन लोगों की जिनकी अर्हता पर एनएसक्यूसी में विचार किया जा रहा है।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

....

अनुलग्नक- I

प्रतिभागियों की सूची

राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) के सदस्यों

1. डॉ निर्मलजीत सिंह कलसी, अध्यक्ष, एनसीवीईटी
2. डॉ नीना पाहुजा, कार्यकारिणी सदस्य, एनसीवीईटी
3. डॉ विनीता अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य, एनसीवीईटी
4. श्री राजेश, सहायक निदेशक प्रशिक्षण, मिशन निदेशक, गोवा
5. डॉ नीतू भगत, एआईसीटीई
6. डॉ. मृगांका शेखर सरमा, यूजीसी
7. श्री अनिल गैरोला, डी एस, डीओएसईएल
8. श्री संजीव चावला, एमएसएमई
9. श्री राम असारे, यूपीएसडीएम
10. एमएस दीप्ति सक्सेना, एनएसडीसी

एनसीवीईटी के अधिकारियों

1. कर्नल संतोष कुमार, निदेशक, एनसीवीईटी
2. लेफ्टिनेंट कर्नल गुंजन चौधरी, निदेशक, एनसीवीईटी
3. श्री सुशील अग्रवाल, निदेशक, एनसीवीईटी
4. श्री प्रदीप थोटा, डीडी, एनसीवीईटी
5. श्री हरीश चंदर, डीडी, एनसीवीईटी
6. श्री मिलन साहू, डीडी, एनसीवीईटी
7. एमएस सारिका दीक्षित, परामर्शदाता, एनसीवीईटी
8. श्री अमित शर्मा, परामर्शदाता, एनसीवीईटी
9. श्री शौर्य संगम, परामर्शदाता, एनसीवीईटी
10. श्री लव भारद्वाज, परामर्शदाता, एनसीवीईटी
11. सुश्री ओजस्विक गोयल, परामर्शदाता, एनसीवीईटी
12. श्री अजीत जायसवाल, परामर्शदाता, एनसीवीईटी
13. श्री अमरेश कुमार, परामर्शदाता, एनसीवीईटी
14. श्री अभिनव मिश्रा, परामर्शदाता, एनसीवीईटी
15. श्री अमीर वहीद, परामर्शदाता, एनसीवीईटी
16. श्री बालाजी भास्करन, परामर्शदाता, एनसीवीईटी

प्रतिनिधियों से क्षेत्रीय हितधारकों

1. डॉ. पी. सक्सेना, सीईओ ग्रीन जॉब्स

2. सुश्री कीर्ति सेठ, सीईओ, एसएससी नैसकॉम
3. श्री मोहित सोनी, सीईओ एमईएससी
4. सुश्री मोना गुप्ता, सीईओ, डीडब्ल्यूएसएससी
5. श्री रविंद्र सिंह सीईओ, एससीपीडब्ल्यूडी
6. डॉ. सतेंदर सिंह आर्य, सीईओ, एएससीआई
7. श्री राजन बहादुर, सीईओ, टीएचएससी
8. डॉ. अभिलाषा, सीईओ, ईएसएससीआई
9. डॉ स्वप्ना मिश्रा, कपड़ा एसएससी
10. श्री चेतन, कक्षा प्रमुख, एएएसएससी
11. श्री आशीष आनंद, एससीपीडब्ल्यूडी
12. श्री अमित सिंह, एएमएचएसएससी
13. श्री अपूर्व, एस सी एम एस
14. श्री भारती पालीवाल, एफएफएससी

15. श्री दीपक राय, एससीजीजे
16. डॉ सुनीता बधवार, टीएचएससी
17. डॉ विजय यादव, कपड़ा एसएससी
18. एमएस प्रिया एलएससी
19. एमएस प्रिया शर्मा, एचसीएसएससी
20. एमएस प्रियंका पांडे, डीडब्ल्यूएसएससी
21. एमएस रीना, एलएससी
22. श्री सैफ मोहम्मद, दूरसंचार एसएससी
23. डॉनिहारिका निगम - एससीपीडब्ल्यूडी
24. सुश्री राखी, एमईपीएससी
25. श्री स्नेहाशीष बागची - नैसकॉम एसएससी
26. श्री विग्नेशराज - कपड़ा एसएससी

अनुलग्नक-II

एनएसक्यूसी की बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुपालन रिपोर्ट:

1. एनएसक्यूसी की 22वीं बैठक में लिए गए निर्णय

संबंधित मामला	एनएसक्यूसी के निर्णय	की गई कार्रवाई
डीजीटी	एनएसक्यूसी की 22वें बैठक में डीजीटी की 150 अर्हताओं (सीटीएस) का अनुमोदन दिया गया था और उन्हें अपनी सभी 150 अर्हताओं के मैपिंग को पूरा करने और अधिगम के परिणामों को एनओएस में बदलने तथा एनसीवीईटी को सूचित करने के लिए संचार स्थापित किया गया था ताकि इन अर्हताओं को एनक्यूआर पर अपलोड किया जा सके। .	डीजीटी ने 150 अर्हताओं के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत किया है और इन अर्हताओं को एनक्यूआर पर अपलोड कर दिया गया हैं। हालांकि, डीजीटी को ऐसे सभी अधिगम के परिणामों के लिए **नए एनओएस को तैयार करने के लिए समय-सीमा** भी प्रस्तुत करनी थी, जिन्हें उनकी अर्हता में मौजूदा एनओएस में मैप नहीं किया जा सकता था, जो **अभी भी प्रतीक्षित है।।**
एएसएपी, केरल	"बाल स्वास्थ्य सहायक" की परिशोधित अर्हता का सशर्त अनुमोदन राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग से सहमति प्रस्तुत करने के अधीन दी गई थी ।	पुरस्कार देने निकाय (अवार्डिंग बॉडीज) एएसएपी केरल द्वारा अपेक्षित दस्तावेज जमा करना अभी भी प्रतीक्षित है।

2. एनएसक्यूसी की 17वीं बैठक में लिए गए निर्णय

संबंधित मामला	एनएसक्यूसी के निर्णय	की गई कार्रवाई

नैसकॉम एसएससी / मीडिया एसएससी	17वें एनएसक्यूसी में नैसकॉम एसएससी ने एआरवीआर डेवलपर और **एआरवीआर डेवलपर और एआरवीआर डिजाइनर** नामक दो (02) अर्हताएं प्रस्तुत की थीं। दोनों अर्हताओं की मंजूरी दी गई थी हालांकि, मीडिया एसएससी ने यह प्रस्तुत किया था कि एक ही नामकरण के साथ उनकी दो अर्हताएं पहले ही 14वीं एनएसक्यूसी में स्वीकृत की जा चुकी हैं और नैसकॉम की दो अर्हताओं के अनुमोदन के परिणामस्वरूप दोहराव हो सकता है और इस प्रकार कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में भ्रम पैदा हो सकता है।	एनसीवीईटी के परामर्श से दोनों अवार्डिंग बॉडीज (नैस्कॉम और मीडिया) ने तुलनात्मक विश्लेषण किया था और उन्हें अपनी विषयवस्तु में भिन्नता पायी गयी और इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामकरण के साथ इस क्षेत्र को दोनों के बीच अंतर करने के लिए संकेत के साथ फाइल पर अनुमोदित किया गया था। अनुपालन पूरा हो गया है और कार्यसूची को बंद कर दिया गया है।
	समिति ने नैस्कॉम एसएससी को सलाह दी थी कि वह मीडिया एसएससी की पहले से अनुमोदित अर्हताओं की विषयवस्तु की तुलना उनके साथ परामर्श करके करे और तदनुसार इसका समाशोधन करे। तथापि, यदि विषयवस्तु भिन्न है, तो मामले को अगली बैठक में एनएसक्यूसी के समक्ष आगे विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।	

अनुलग्नक- III

23वें एनएसक्यूसी में अनुमोदित अर्हताओं का सारांश

अनुमोदित अर्हताओं का सारांश					
क्र. सं.	**प्रस्तुतकर्ता निकाय का नाम**	**एनएसक्यूसी के विचारार्थ फ़ाइलें**			**एनएसक्यूसी के निर्णय**
		नया	**परिशोधित**	**कुल**	
	अवार्डिंग बॉडीज				
1.	एयरोस्पेस और एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल	3	0	3	**03 अनुमोदित**
2.	परिधान क्षेत्र कौशल परिषद	0	3	3	**03 अनुमोदित**
3.	घरेलू कामगार क्षेत्र कौशल परिषद	1	3	4	**01 अनुमोदित, 03 अनुमोदित 06 महीने के लिये**
4.	ग्रीन जॉब्स एससीसी	0	5	5	**01 अनुमोदित, 04 अनुमोदित छह (06) महीने के लिये**
5.	प्रबंधन एससीसी	2	1	3	**01 आस्थगित, 02 अनुमोदित, 01 सशर्त अनुमोदित**
6.	पर्यटन एससीसी	2	0	2	**02 अनुमोदित**
7.	कपड़ा एससीसी	1	0	1	**01 सशर्त अनुमोदित**
8.	एससीपीडब्ल्यूडी	4	9	13	**13 अनुमोदित ।**

	ग्रैंड कुल	**13**	**21**	**34**	• **अनुमोदित - 24** • **छह महीने के लिए अनुमोदित - 07** • **सशर्त अनुमोदित - 02** • **आस्थगित - 01**

अनुलग्नक- IV

संरेखण के लिए रखी गई अर्हताओं की सूची और 23वीं एनएसक्यूसी की बैठक में अनुमोदित।

क्र. सं.	अर्हता का नाम	नया/ परिशोधित	एनएसक्यूएफ का स्तर	अनुमोदन की स्थिति
एयरोस्पेस और एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल				
1	एयरपोर्ट टर्मिनल ऑपरेशंस एक्जीक्यूटिव	नया	4	अनुमोदित
2	एयरपोर्ट टर्मिनल ऑपरेशंस सुपरवाइजर	नया	5	अनुमोदित
3	एयरपोर्ट टर्मिनल ऑपरेशंस मैनेजर	नया	6	अनुमोदित
परिधान- मेड अप्स और होम फर्निशिंग एसएससी एसएससी				
1	असिस्टेंट सीविंग मशीन ऑपरेटर	परिशोधित	2	अनुमोदित
2	सहायक सीविंग मशीन ऑपरेटर निट	परिशोधित	2	अनुमोदित
3	हैण्ड एम्ब्रोइडरी (अड्डावाला)	परिशोधित	2	अनुमोदित
घरेलू कर्मी क्षेत्र कौशल परिषद (डोमेस्टिक वर्कर्स सेक्टर स्किल काउंसिल)				
1	पेशेवर रसोइया (घरेलू और लघु प्रतिष्ठान)	परिशोधित	4	06 महीने के लिए अनुमोदित
2	देखभालकर्ता - माँ और नवजात - गैर-नैदानिक (घरेलू और देखभाल गृह)	परिशोधित	3	06 महीने के लिए अनुमोदित
3	शिशु देखभालकर्ता (गैर-नैदानिक)	परिशोधित	3	06 महीने के लिए अनुमोदित
4	सहायक गृह प्रबंधक (घरेलू और लघु प्रतिष्ठान)	नया	5	अनुमोदित
स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स				
1	डिस्लुजिंग ऑपरेटर	परिशोधित	3	अनुमोदित
2	सेप्टिक टैंक जूनियर तकनीशियन	परिशोधित	3	06 महीने के लिए अनुमोदित
3	फेकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट ओ एंड	परिशोधित	4	06 महीने के लिए

	एम तकनीशियन			अनुमोदित
4	टेक्निशियन- पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग	परिशोधित	3	06 महीने के लिए अनुमोदित
5	पेपर बैग मेकर - माइक्रो एंटरप्रेन्योर	परिशोधित	4	06 महीने के लिए अनुमोदित
प्रबंधन एसएससी				
1	प्री-स्कूल और डे केयर फैसिलिटेटर	नया	4	आस्थगित
2	उद्यमी (ऐच्छिक: महिला उद्यमी जहाज / लिंग संवेदनशीलता)	नया	5	सशर्त अनुमोदित
3	कार्यालय संचालन कार्कारी	परिशोधित	4	अनुमोदित
पर्यटन और आतिथ्य कौशल परिषद				
1	प्रकृतिवादी- वन्यजीव पर्यटन	नया	4.5	अनुमोदित
2	बरिस्ता एग्जीक्यूटिव	नया	4	अनुमोदित
कपड़ा एसएससी				
1	हथकरघा उद्यमी (हैंडलूम इंटरप्रेन्योर)	नया	5	सशर्त अनुमोदित
लोक निर्माण विभाग एसएससी				
1	भारतीय सांकेतिक भाषा दुभाषिया	नया	4	अनुमोदित
2	आतिथ्य सहयोगी (दिव्यांगजन) - आईडी	नया	2	अनुमोदित
3	सोलर डेसीकेशन असिस्टेंट- भोजन और सब्जियां (दिव्यांगजन)-आईडी	नया	2	अनुमोदित
4	असिस्टेंट-प्लांट केयर टेकर (गार्डनर)- (दिव्यांजन- आईडी)	नया	2	अनुमोदित
5	डेरी किसान (दिव्यांगजन)- एल डी	परिशोधित	4	अनुमोदित
6	डेरी किसान (दिव्यांगजन)- एसएचआई	परिशोधित	4	अनुमोदित
7	डेरी किसान (दिव्यांगजन)- एलवी	परिशोधित	4	अनुमोदित
8	प्रेसमैन- परिधान (दिव्यांगजन)- एसएचआई	परिशोधित	3	अनुमोदित
9	प्रेसमैन- परिधान (दिव्यांगजन)- एलवी	परिशोधित	3	अनुमोदित
10	मोबाइल फोन रिपेयर टेक्निशियन (दिव्यांगजन)- एल.डी	परिशोधित	4	अनुमोदित

11	मोबाइल फोन रिपेयर टेक्निशियन (दिव्यांगजन)- एसएचआई	परिशोधित	4	अनुमोदित
12	प्लांट प्रोडक्शन ऑपरेटर (बिस्किट)- (दिव्यांगजन-एलडी)	परिशोधित	4	अनुमोदित
13	प्लांट प्रोडक्शन ऑपरेटर (बिस्किट)- (दिव्यांगजन)- एसएचआई	परिशोधित	4	अनुमोदित

*** ***************